सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 13, मंगलवार, *शाके* 1942–फरवरी 2, 2021 *Magha 13, Tuesday, Saka 1942- February 2, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 01, 2021

संख्या 1637 :-राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीयस्थल तथा पुरावशेष नियम, 1968 के संशोधन का प्रारुप राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम 19) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 700 दिनांक 13/01/2021 के अधीन, उससे संभवतः प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों से राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के अवसान से आपत्तिया एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए दिनांक 15/01/2021 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग-1 (ख) के पृष्ठ संख्या 1 से 2 पर प्रकाशित करवाया गया था किंतु उक्त प्रारुप के संबंध में निहित कालावधि के भीतर कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष नियम, 1968 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

<u>संशोधन</u>

अनुसूची -IV

भाग-(क) नियम 12 के अधीन संदेय फीस

संरक्षित स्मारकों एवं संग्रहालयों में प्री एवं पोस्ट वेडिंग शूटिंग हेतु प्रवेश शुल्क निम्नानुसार संदेय होगा-

क्र.स.	स्मारक का नाम	शुल्क एवं समय(कार्यालय समय में लागू)	शुल्क एवं समय (कार्यालय समय के पूर्व एवं कार्यालय समय के पश्चात् में लागू)	अमानत राशि
1-	1. जयपुर स्थित स्मारक आमेर महल, अल्बर्टहॉल, जन्तर-मन्तर, हवामहल, नाहरगढ़, विधाधर का बाग,	5000 रुपये प्रति 2 घंटे	15000 रुपये प्रति 1 घंटे	25 प्रतिशत

	सिसोदियारानी का बाग, ईसरलाट			
2-	विभागाधीन अन्य स्मारक/संग्रहालय	5000 रुपये प्रति 2 घंटे	15000 रुपये प्रति 1 घंटे	25 प्रतिशत

यह संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

श्री ललित भगत,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।